**प्रथम अपीलीय अधिकारी**
**कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।**

सूचना का अधिकार अपील संख्या 05/2026

| **अपीलार्थी** | बनाम | **रेस्पोडेन्टस** |
|---|---|---|
| महेन्द्र कुमार मेहता, निवासी–<br>'ए' रोड़, सरदारपुरा, तहसील<br>जोधपुर। | | लोक सूचना अधिकारी<br>(अति0 संभागीय आयुक्त)<br>कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर |

प्रथम सूचना अपील अंतर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक२०मई, 2026**

अपीलार्थी के द्वारा इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 06.04.2026 को प्रेषित आवेदन में अंकित सूचनाएं ( जोधपुर शहर की सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रानुसार जनसंख्या बताने, बिन्दू संख्या 0 2 से 19 के अनुसार जोधपुर शहर के महात्मा गॉधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल के निर्मित होने का वर्ष तथा निर्माण के समय की जनसंख्या, निर्माण वर्ष, उनके प्रारम्भ होने, जोधपुर में कुल डिस्पेन्सरियॉ, कहॉ–कहॉ स्थापित है, उनकी संख्या बताने, अस्पतालों में स्वीकृत चिकित्सक पद, रिक्त पद संख्या, अस्पतालों के द्वारा संधारित कार्यो/निष्पादित कार्यो, विभिन्न प्रकार के रखरखाव की जानकारी, डॉक्टर्स/कर्मचारियों की नियुक्तियो सम्बन्धी नियमों की जानकारी, जॉच सुविधाएं/जॉच हेतु अस्पतालों में संचालित मशीनों की जानकारी, जन सुविधाओं की जानकारी) उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आवेदन के अनुसार इस कार्यालय से चाही गई सूचना एक से अधिक कार्यालयों/विभागों से सम्बन्धित होने से आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण योग्य नहीं होने के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 22.04.2026 को यह प्रथम सूचना अपील पेश कर उपरोक्त क0सं0 1 स्वयं सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 11.05.2026 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./2026/94 दिनांक 14.05.2026 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया किः–

1. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में बिन्दू संख्या 1 से 19 तक के बिन्दुओं में सूचनाएं चाही गई थी।
2. बिन्दू संख्या 1 की सूचना जिला कलेक्टर, कार्यालय, जोधपुर से सम्बन्धित है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना चिकित्सा विभाग के विभिन्न अस्पतालों से सम्बन्धित है। अतः चाही गई सूचना एक से अधिक कार्यालयों/ विभागों से सम्बन्धित होने से आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण योग्य नहीं है। अतः आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।
3. आवेदक को सहवन से मूल आवेदन नहीं लौटाया गया था।

इस प्रकार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के द्वारा की जा चुकी है तथ इस सम्बन्ध में आवेदक को जरिये डाक निर्धारित समयावधि में सूचित कर दिया है। अतः प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के कथनानुसार उनके प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2026 के अनुसार कार्यालय हाजा से चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी के पास ही उपलब्ध है तथा क0सं0 2 से 19 की समस्त सूचनाएं सलंग्न चिकित्सा समूह, डॉ0 एस0एन0मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के पास होने से आवेदन मात्र एक स्थान पर ही भेजना था, नहीं भेजा न ही लौटाया गया है। इस क्रम में लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दर्ज हुए आवेदन की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें उनके आवेदन में जोधपुर शहर की सभी तीनों विधानसभा क्षेत्रानुसार जनसंख्या बताने, महात्मा गॉधी, उम्मेद अस्पताल अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल के निर्मित होने, के समय की जनसंख्या, निर्माण वर्ष, प्रारम्भ होने,जोधपुर में कुल डिस्पेन्सरियॉ, कहॉ–कहॉ , संख्या बताने, अस्पतालों में स्वीकृत चिकित्सक पद, रिक्त पद संख्या,



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इत्यादि तथा अस्पतालों के द्वारा संधारित कार्यो/निष्पादित कार्यो, विभिन्न प्रकार के रखरखाव की जानकारी, नियुक्तियो सम्बन्धी नियमों की जानकारी, जॉच सुविधाएं/मशीनों की जानकारी, जन सुविधाओं की जानकारी चाही गई है। अपीलान्ट ने अपने आवेदन में जो सूचनाएं चाही गई है, वह इस कार्यालय में संधारण नहीं होना, जिला कलेक्टर, कार्यालय जोधपुर तथा चिकित्सा विभाग के विभिन्न सम्बन्धित अस्पतालों से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अनुसार सूचनाएं एक से अधिक विभागों की होने से आवेदक का आवेदन स्थानान्तरण योग्य नहीं पाये जाने से तथा वांछित सूचनाएं आवेदक को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है।

इसके अतिरिक्त आवेदक के आवेदन के अनुसार आवेदक के द्वारा सूचनाएँ प्रश्नात्मक पूछी गई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय में मूल दस्तावेज उपलब्ध होने/ दस्तावेजों की प्रतियॉ उपलब्ध होने पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उनकी छायाप्रतियॉ प्रमाणित/सत्यापित की जाकर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित आवेदनकर्ता को उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। प्रश्नात्मक रूप से चाही गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देय योग्य नहीं है और न ही एक से अधिक विभागों की चाही गई सूचना चाहने जाने पर आवेदन स्थानान्तरण योग्य होता है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है। आवेदक चाहे तो उपरोक्त अलग–अलग प्रकार की सूचनाएं सम्बन्धित अलग–अलग विभाग से नियमानुसार आवेदन करते हुए प्राप्त कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(कन्हैयालाल स्वामी)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर